माननीय अध्यक्ष जी,

मैं इस देवभूमि के दिव्य भाल को सर्वप्रथम प्रणाम करते हुए हिमवन्त कवि चन्द्रकुंवर बर्त्वाल की निम्न पंक्तियों से अपना बजट सम्बोधन आपकी आज्ञा से प्रारम्भ करती हूँ :–

'हे उत्तर के श्वेतकेश चिर तरूण तपस्वी
पृथ्वी के निर्मलतम धन
हे वसुधा की स्वर्ण भूमि
हे गंगा की निर्मल लहरों के पिता हिमालय
मेरी वाणी को प्रशस्तता और सुचिता दो'

मैं आपकी अनुमति से इस परम् सम्मानित सदन के सम्मुख वित्तीय वर्ष 2012–13 का बजट प्रस्तुत कर रही हूँ।

यह मेरा सौभाग्य है कि उत्तराखण्ड राज्य की तीसरी निर्वाचित सरकार का प्रथम बजट प्रस्तुत करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। श्रीमती सोनिया गाँधी जी के

प्रगतिषील नेतृत्व में विष्वास करते हुए जनता ने कांग्रेस नेतृत्व को सत्ता सौंपी है।

इस नये साल के सूरज से यह उम्मीद करें
अब किसी घर में अंधेरा नहीं होने पाये
दिल के गुलशन में खिलें फूल खुशी के इतने
कि कहीं गम का बसेरा नहीं होने पाये
अब दरखतों पर नये पत्ते नज़र आने लगे
जो दिए थे जख्म पतझड़ में वो मुस्कराने लगे।

महोदय, हर वर्ष हमारे लिए कुछ अवसर और कुछ चुनौतियाँ लेकर आता है। बुद्धिमानजन चुनौतियों का सामना करते हुए अवसरों से रास्ते तलाषते हैं। चुनौतियाँ कई हैं, मसलन महँगाई, वैष्विक अर्थव्यवस्था का संकट, औद्योगिक क्षेत्र की सुस्त रफ्तार और तेजी से बढ़ता राजकोषीय घाटा। ऐसे में जरूरी था कि राज्य के लिए एक संतुलित बजट पेष किया जाए, जो एक सर्वसमावेषी विकास की नींव को मजबूत करे। राजकोषीय स्थिति को दुरूस्त करने के साथ–साथ हमे विकास दर तथा औद्योगिक निवेष को गति देने के लिए नीतिगत स्तर पर

कई सुधार करने होंगे। कर नीति को ज्यादा व्यापक और पारदर्शी बनाना है। साथ ही सबसे जरूरी एक पारदर्शी और जवाबदेह सुशासन प्रदेष की जनता को देना है।

महोदय, 2012–13 के बजट को राज्य में एक अधिक पारदर्शी और परिणामोन्मुख आर्थिक प्रबन्धन प्रणाली की दिशा में बढ़ते कदम के रूप में देखती हूँ। चूंकि यह 12वीं पंचवर्षीय योजना का पहला साल है, इसलिए बजट के निर्माण में मैंने पांच बिन्दुओं को आधार तत्व माना। यह आधारतत्व निम्नलिखित हैं :–

- आजीविका सुरक्षा
- आर्थिक सुरक्षा
- ऊर्जा सुरक्षा
- वन एवं पर्यावरण की सुरक्षा, तथा
- आंतरिक और बाहरी सुरक्षा

सरकार इस मूल तत्व को ध्यान में रखकर अपनी भावी योजनाओं को अमलीजामा पहनाएगी।

इस अवसर पर मैं सदन के संज्ञान में यह लाना चाहती हूँ कि यह एक संयोग ही है कि वित्तीय वर्ष 2012–13, बारहवीं पंचवर्षीय योजना का एवं इस तृतीय निवार्चित सरकार दोनों का प्रथम वर्ष है। शीघ्र ही बारहवीं पंचवर्षीय योजना तथा वार्षिक योजना 2012–13 को योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा अन्तिम रूप दिया जाएगा। साथ ही यह भी विदित है कि विधान सभा चुनाव एवं तद्क्रम में नई सरकार के गठन के परिपेक्ष्य में प्रथम चार माह के लिए पारित लेखानुदान अवधि के दो माह शेष होने के बावजूद वित्तीय वर्ष 2012–13 का नियमित बजट प्रस्तुत कर रही हूँ। यहाँ यह अवलोकनीय है कि विगत वर्षों में एक ओर बजट की उपलब्धता सुनिश्चित न होने के बावजूद बड़ी संख्या में विभिन्न विकास कार्य यथा–सड़कें, पेयजल योजनाऐं आदि स्वीकृत हुई हैं और दूसरी ओर विभिन्न कारणों से बजट की उपलब्धता के बावजूद स्वीकृत कार्य पूर्ण नहीं हो सके हैं। राज्य के वित्तीय संसाधन अत्यन्त सीमित होने, पूर्ववर्ती राज्य के समय इस भू–भाग को विकास का पर्याप्त लाभ न मिल

पाने, विभिन्न भौगोलिक व अन्य बाध्यताओं, सेवाऐं प्रदान करने की अपेक्षाकृत अधिक लागत, राज्य के शैशव काल में होने तथा उक्त परिस्थितियों आदि के दृष्टिगत किसी सीमित समय में यद्यपि किसी चमत्कार की आशा नहीं की जा सकती तथापि वर्ष 2012–13 की आय एवं व्यय के सन्तुलन को ध्यान में रखते हुए इस बजट के माध्यम से प्रदेश की आवश्यकताओं की पूर्ति समुचित प्रकार से करने का सार्थक प्रयास प्रस्तावित है।

आर्थिक एवं राजकोषीय परिवेश एवं वित्तीय प्रबन्धन :

वर्तमान में राष्ट्रीय स्तर पर सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर अपेक्षाकृत रूप से सीमित हुई है। विश्व के कई देशों पर आर्थिक मन्दी का खतरा बना हुआ है, जबकि केन्द्र सरकार भी राजकोषीय घाटा को नियंत्रित करने की चुनौती से जूझ रही है। इसके साथ ही राज्य सरकार पर **"कर राजस्व एवं करेत्तर राजस्व"** संसाधन के सीमित स्रोत हैं। जिनका दोहन भी अभीष्ट रूप से नहीं हो रहा है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2012–13 में हमारी स्वयं के

स्रोतों की आय कुल राजस्व आय से लगभग 44.49 प्रतिशत है जबकि केन्द्रीय करों में हमारे हिस्से के रूप में प्राप्त आय हमारे कुल राजस्व का लगभग 20.97 प्रतिशत है एवं केन्द्र सरकार से योजनागत व अन्य प्रकार के अनुदान से हमारे कुल राजस्व का 34.54 प्रतिशत राजस्व प्राप्त होता है। व्यय पक्ष में हमारे कुल व्यय का लगभग 67.86 प्रतिशत आयोजनेत्तर एवं लगभग 32.34 प्रतिशत आयोजनागत पक्ष में व्यय होता है। पेंशन एवं ब्याज भुगतान को घटाते हुए हमारे कुल राजस्व व्यय का लगभग 53.16 प्रतिशत व्यय वेतन आदि मदों में होता है जबकि 12वें वित्त आयोग की संस्तुति अनुसार यह 35 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। दूसरी ओर राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन (अर्थात एफ. आर.बी.एम.) अधिनियम के अन्तर्गत राज्य सरकार की यह बाध्यता है कि राजस्व घाटा शून्य हो एवं राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष 3.5 प्रतिशत के अन्तर्गत हो। वर्ष 2012–13 में राजकोषीय घाटा `3442.46 करोड़ के सीमान्तर्गत सुनिश्चित किया जाना

है। राज्य सरकार द्वारा लिए जाने वाले वार्षिक ऋण तथा कुल ऋण दायित्व की भी सीमा निर्धारित है। साथ ही ऋण संपोषणीयता (Debt Sustainability) को भी ध्यान में रखना आवश्यक है। उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए शुद्ध ऋण सीमा `3433 करोड़ है जबकि वर्ष 2012–13 के अन्त तक राज्य का कुल ऋण दायित्व लगभग `25028 करोड़ अनुमानित है। यहाँ यह अवलोकनीय है कि वर्ष 2010–11 में राज्य सरकार एफ.आर.बी.एम. के अन्तर्गत निर्धारित राजकोषीय लक्ष्यों के अनुरूप निष्पादन नहीं कर सकी जिससे कतिपय वित्तीय लाभों से वंचित होने का खतरा उत्पन्न होने की परिस्थिति बन गई है।

इन परिस्थितियों में जबकि हमारे स्वयं के वित्तीय संसाधन अत्यन्न सीमित हैं और हमारा आयोजनेत्तर पक्ष का व्यय भार अपेक्षाकृत रूप से अधिक है एवं वेतन आदि कतिपय मदों में व्यय नियंत्रण की अपनी सीमाऐं हैं, हम सब पर एक ओर अपने स्वयं के राजस्व में पर्याप्त वृद्धि करने व व्यय में कठोर नियंत्रण करने की आवष्यकता है

तो दूसरी ओर राज्य के विकास कार्यों एवं कल्याणकारी योजनाओं को गति देने की चुनौती भी है। परन्तु मुझे आशा है कि सभी मा. सदस्यों के अनुभव एवं सक्रिय सहयोग से हम इन चुनौतियों का सफलता पूर्वक समाधान कर पायेंगे। इस सम्बंध में सुशासन, सघन प्रवर्तन, प्रशासनिक एवं वित्तीय सुधारों तथा राजस्व वसूली पर विशेष ध्यान दिया जाना होगा।

वार्षिक योजना :

यद्यपि वित्तीय वर्ष 2012–13 की वार्षिक योजना को अन्तिम रूप दिया जा रहा है एवं उसका योजना आयोग से अनुमोदन होना है, तथापि आयोजनागत पक्ष में वर्ष 2012–13 में `7048.96 करोड़ का प्राविधान प्रस्तावित है जो वर्ष 2011–12 के योजनागत व्यय पुनरीक्षित `5819.39 करोड़ से लगभग 21.13 प्रतिशत वृद्धि सहित `1229.57 करोड़ अधिक है।

मान्यवर,

हमें भी ख़्वाबों की दुनिया अज़ीज़ है लेकिन,
ज़मीन पे रहने का ऐहसास मारे देता है।
चमन को सींचने में पत्तियां कुछ झड़ गयी होंगी
यही इलज़ाम मुझ पर लग रहा है बेवफाई का
मगर कलियों को जिसने रौंद डाला अपने हाथों से,
वे दावा कर रहे हैं, इस चमन की रहनुमाई का।

इस अवसर पर मैं सरकार द्वारा किये जाने वाले प्रयासों एवं उठाये जा रहे कदमों के सम्बन्ध में कुछ प्रमुख बिन्दुओं का उल्लेख करना चाहूँगी :

- कोई नया कर लगाया जाना प्रस्तावित नहीं है।
- पैट्रोलियम कम्पनियों द्वारा हाल में पैट्रोल के खुदरा मूल्यों में ` 7.50 प्रति लीटर की जो बढ़ोत्तरी की गई थी उसके सापेक्ष जनता को राहत देने के लिए इस मूल्य वृद्धि पर देय वैट

की राषि `1.87 प्रति लीटर की छूट ग्राहकों को देने का निर्णय लिया गया है।

- जनसामान्य को राहत देने के उद्देश्य से दीपावली के पर्व पर बिकने वाले शक्कर से निर्मित कुलिया, खिलौने, बताशे आदि को कर मुक्त किया गया है।
- पके भोजन पर वैट की करदेयता 13.5 प्रतिशत है, लेकिन रोड़ साइड ढाबों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों एवं रेस्टोरेन्ट/फूड प्वाइन्ट्स जिनकी वार्षिक बिक्री `50 लाख तक की सीमा के अन्तर्गत है उनको सुविधा पहुॅचाने के उद्देश्य के लिए 4 प्रतिशत की दर से एकमुश्त समाधान राशि योजना की अवधि बढ़ाकर दिनांक 31 मार्च, 2015 तक की गयी है।
- सभी प्रकार के छाते (उद्यान छातों को छोड़कर) को वैट से कर मुक्त किया जाना प्रस्तावित है।

- वाणिज्य कर विभाग की कार्यप्रणाली को अधिक पारदर्शी एवं व्यवसायियों के लिए सुविधाजनक बनाने और प्रान्त के अन्दर माल के आवागमन को सुगम बनाने के उद्देश्य से जाँच चौकियों को समाप्त करने हेतु वैट अधिनियम/नियमों में संशोधन प्रस्तावित है तथा प्रवर्तन का कार्य सचल ईकाईयों के माध्यम से कराया जाएगा। साथ ही आयात घोषणा पत्र एवं केन्द्रीय सम्व्यवहारों से सम्बन्धित फॉर्म यथा 'सी', 'ई' 'एफ' व 'एच' को बिना कोई फीस अदा किये डाउनलोड करने की सुविधा उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव है।
- वाणिज्य कर में ऐसे करदाता, जो अपना कर–दायित्व निरंतर समय से जमा कराने की ओर प्रगतिषील हों, उनमें से पाँच करदाताओं (जो ट्रेडिंग, स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल आदि से सम्बन्धित होंगे) को एक कमेटी द्वारा चयनित

कराकर वर्ष में एक बार सम्मानित किया जायेगा।

- टिम्बर पर करापवंचन को रोकने के उद्देश्य से टिम्बर को वैट की बहुसूत्रीय अवर्गीकृत श्रेणी से हटाकर एकसूत्रीय करदर वाली वस्तुओं की श्रेणी में रखना प्रस्तावित है।
- ऊर्जा दक्ष उपकरणों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से सी.एफ.एल. बल्ब व ट्यूब के सम्बन्ध में वर्तमान में 13.5 प्रतिशत की कर दर को 4.5 प्रतिशत करदर श्रेणी में रखना प्रस्तावित है।
- जनसामान्य को राहत पहुॅचाने एवं छोटे व्यापरियों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से मोमबत्ती को 4.5 प्रतिशत कर देय श्रेणी से हटाकर कर मुक्त किये जान का प्रस्ताव है।
- किसान वर्ग की सुविधा की दृष्टि से `5.00 लाख तक के कृषि ऋण पर स्टाम्प ड्यूटी से छूट दी गयी है।

- देहरादून में ई–स्टाम्पिंग प्रणाली प्रारम्भ किये जाने के क्रम में हरिद्वार, उधम सिंह नगर एवं नैनीताल में इस प्रणाली को अपनाया जाएगा तथा सर्किल रेट, स्टाम्प शुल्क व पंजीकरण शुल्क की जानकारी प्राप्त करने हेतु ए.टी.एम. मशीनों की भाँति मशीनें लगाई जाऐंगी। साथ ही गाँववार तथा नामवार 12 वर्ष की सूची का डिजिटाइजेशन किया जा रहा है।
- बिना कब्जे वाले इकरारनामों पर वर्तमान में स्टाम्प शुल्क की दर प्रतिफल (Consideration) अर्थात सौदे की धनराषि के आधी धनराषि पर 5 प्रतिषत है, जिसे घटाकर अधिकतम `1000 (एक हजार रूपये) किया जा रहा है।
- विवाह रजिस्ट्रेषन शुल्क 100 रू0 (सौ रूपये) किया जा रहा है।

- जनपद टिहरी में 2.40 मेगावाट क्षमता की पवन ऊर्जा आधारित उत्तराखण्ड राज्य की पहली विद्युत परियोजना शीघ्र प्रारम्भ की जाएगी।
- रिमोट सेंन्सिग के माध्यम से जल स्रोतों व स्थलों का चिन्हीकरण कर मास्टर प्लान तैयार किया जायेगा।
- दूरस्थ प्रमुख स्थलों की सड़क दूरी कम करने के लिए अध्ययन कर योजना प्रारूप तैयार किया जायेगा।
- चारधाम यात्रा के रास्तों पर पैदल तीर्थयात्रियों, साधु–सन्तों के लिये रैन बसेरों का निर्माण किया जायेगा। इनमें पीने के पानी की व्यवस्था एवं साधारण चना–चबेना (गुड़–चना) की व्यवस्था भी की जायेगी।
- चारधाम उपासना केन्द्रों एवं रास्तों को साफ–सुथरा एवं नदियों को प्रदूषण से बचाने के लिए, उस क्षेत्र को धार्मिक आस्था के अनुरूप रखने के लिए बद्रीनाथ धाम हेतु जोशीमठ से

आगे, केदारनाथ धाम हेतु गौरीकुण्ड से आगे, गंगोत्री हेतु हर्षिल से आगे तथा यमनोत्री हेतु जानकीचट्टी से आगे बीड़ी–सिगरेट, तम्बाकू, शराब आदि मादक पदार्थों एवं पॉलीथीन पर प्रतिबन्ध रखा जायेगा।

- नगरीय क्षेत्रों में रैन बसेरों का निर्माण किया जाएगा।
- पचास प्रतिशत व अधिक अल्पसंख्यक आबादी वाले गाँवों में विभागों के अधीन क्रियान्वित की जाने वाली योजनाओं व अवस्थापना कार्यों हेतु ''अल्पसंख्यक उपयोजना'' के रूप में बल दिया जाएगा।
- राज्य में मौलाना आजादा एजुकेशन फाईनेन्स फाउन्डेशन की स्थापना की जाएगी जिसके माध्यम से गरीब अल्पसंख्यक वर्ग हेतु उच्च शिक्षा आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

- मदरसों में मिड–डे मील योजना की व्यवस्था अनुमन्य है जिसको सभी मदरसों द्वारा लागू किया जाने का प्रयास किया जाएगा।
- अल्पसंख्यक निदेशालय की स्थापना की जा रही है।
- राज्य में पारिस्थितिकीय पर्यटन निगम अर्थात् ''ईको टूरिज्म कारपोरेशन'' का गठन किया जाएगा।
- मानव–वन्य जीव संघर्ष की घटनाओं में त्वरित अनुग्रह राशि भुगतान हेतु निधि स्थापित की जाएगी।
- मृदा स्वास्थ्य संरक्षण को सुदृढ़ आधार प्रदान करने एवं कृषि के प्रति ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों में रूचि उत्पन्न करने के लिए विद्यालयों में मृदा परीक्षण कार्यक्रम चलाया जाएगा।
- पन्तनगर विश्वविद्यालय में स्थापित किए गये 90.8 फ्रीक्वेंसी बैन्ड के एफ.एम. रेडियों की परिधि

वर्तमान 15 किलोमीटर से भविष्य में 50 किलोमीटर क्षेत्र में की जाएगी।

- युवाओं और ग्रामीण मजदूरों को आधुनिक बागवानी प्रशिक्षण दिया जाएगा। रानीखेत स्थित उद्यान को बागवानी प्रशिक्षण संस्थान के रूप में विकसित किया जाएगा।
- फल,सब्जी एवं पुष्प उत्पादन के विपणन की समुचित व्यवस्था के लिए 'उत्तराखण्ड औद्यानिक विपणन परिषद्' का गठन किया जाएगा एवं चक्रीय निधि बनाई जाएगी।
- फल पट्टी, सब्जी पट्टी एवं फूल पट्टी को विकसित करने के लिए नौजवानों को बैंकों द्वारा माइक्रो फाइनैंसिंग (Micro Financing) सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी।
- पर्वतीय क्षेत्रों में पैदा हो रहे फलों से वाइन (Fruit wine), जूस बनाने के कार्य में आगे आने वाले बेरोजगार नौजवानों को राज्य सरकार प्रोसैसिंग एवं मार्केटिंग की सुविधा प्रदान करेगी।

- दुग्ध क्रान्ति के लिए स्वयं सहायता समूहों को बैंकों से ऋण दिलाने में सहयोग/सुविधा प्रदान करायी जायेगी तथा उन्हें मार्केटिंग की भी सुविधा प्रदान करायी जायेगी। विशेषकर महिला स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहन दिया जायेगा। महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिये 'राज्य आजीविका मिशन' के रूप में बैंकों के सहयोग से पचास हजार रोजगार के अवसर सृजित करने का प्रयास किया जायेगा।
- कोल्ड वाटर में फिशरीज (Trout) को बढ़ावा देने के लिये बेरोजगार नौजवानों के प्रस्ताव प्राप्त होने पर, उनके प्रस्तावों पर उदारतापूर्वक विचार कर सरकार उनको सुविधा प्रदान करेगी।
- अनाच्छादित जनपदों चम्पावत, बागेश्वर, उत्तरकाशी एवं रूद्रप्रयाग में एकीकृत सहकारी विकास परियोजना लागू की जा रही है।

- सहकारी समितियों के सुदृढ़ीकरण के लिए वैद्यनाथन कमेटी की सिफारिशों को लागू किया जाएगा।
- लोक निजी सहभागिता (पी.पी.पी. मोड) के माध्यम से चिकित्सा व तत्सम्बन्धी सेवाऐं उपलब्ध कराने की पहल को बढ़ावा दिया जाएगा। देहरादून में कार्डियोलॉजी सेन्टर में शीघ्र सर्जरी सेवाऐं प्रारम्भ करने का प्रयास किया जा रहा है।
- कतिपय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को लोक निजी सहभागिता (पी.पी.पी. मोड) के आधार पर संचालित करना प्रस्तावित है।
- ऋषिकेश में स्थापित किए जा रहे एम्स संस्थान की स्थापना शीघ्र पूर्ण कराकर संचालन प्रारम्भ कराया जाएगा।
- राष्ट्रीय विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत चयनित विद्यालयों के भवनों की सुरक्षा तथा विद्यार्थियो की जागरूकता के कार्य किये जायेंगे।

- शैक्षिक रूप से पिछड़ें 19 विकासखण्ड़ों में मॉडल स्कूल एवं बालिका छात्रावास स्थापित किये जा रहे हैं।
- कतिपय प्राथमिक विद्यालयों को अंग्रेजी माध्यम से पी.पी.पी. मोड में संचालित किया जाएगा।
- प्रदेश के पहले महिला इंजीनियरिंग कॉलेज का संचालन शैक्षिक सत्र 2012–13 में प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है।
- राजकीय पालीटैक्निकों का सुदृढ़ीकरण तथा छात्रावासों का निर्माण किया जा रहा है।
- सीमान्त एवं पिछड़े विकासखण्ड़ों में अति आवश्यकीय अवस्थापना कार्यों के लिए ''उत्तराखण्ड सीमान्त एवं पिछड़ा क्षेत्र विकास निधि'' का गठन किया जाएगा।
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए इसका प्रत्येक स्तर पर कम्प्यूटरीकरण किया जाएगा ताकि वास्तविक लाभार्थियों को

खाद्यान्न एवं आवश्यक वस्तुओं का वितरण व लाभ सुनिश्चित हो सके।

- ''बेरोजगारी भत्ता'' देने हेतु अध्ययन कर नियमावली निर्माण एवं तैयारी की जाएगी। नियमावली तैयार होते ही अर्हता के आधार पर बेरोजगारी भत्ता दिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
- खनन क्षेत्रों की सर्विलांस तथा पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन सहित प्रबन्धन योजना बनाई जाएगी।
- देहरादून एवं हल्द्वानी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम का निर्माण प्रस्तावित है। यह उत्तराखण्ड की खेल के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनायेगा।
- उत्तराखण्ड परिवहन निगम की बसों में छात्राओं को निःशुल्क यात्रा सुविधा दी जाएगी।
- परिवहन निगम में ऑन लाइन ई–टिकटिंग व्यवस्था प्रस्तावित है।

- स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना में राज्य की परिस्थितियों तथा राज्य में उपलब्ध संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए उसके अनुरूप रोजगार की संभावनाओं से युक्त ट्रेडों में राज्य के युवक एवं युवतियों को प्रशिक्षण प्रदान कर अपने ही परिवेश में रोजगार प्राप्त करने के उद्देष्य से राज्य सरकार द्वारा एक महत्वाकांक्षी **'उत्थान'** योजना प्रारम्भ की जा रही है, जिसके अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–13 में 5000 (पाँच हजार) षहरी युवक एवं युवतियों को उक्त योजना से लाभान्वित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। उक्त योजनान्तर्गत चयनित युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु पूर्ण पारदर्शिता के आधार पर राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं का चयन किया जायेगा। उक्त संस्थाओं द्वारा चयनित युवाओं को 3 से 6 माह का निःशुल्क उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा तथा संस्थाएं प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवाओं में से

70 प्रतिशत युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु बाध्य होंगी। उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में व्यक्तित्व विकास सहित समस्त व्यवहारिक एवं तकनीकी पहलुओं को समावेशित किया जाएगा, जिससे चयनित प्रशिक्षणार्थियों का वास्तविक उत्थान हो तथा उक्त युवा नवीन रोजगार के अवसरों को उत्पन्न करने में भी अपना सहयोग प्रदान कर सकें।

- व्यय किये जाने वाले धन की उपादेयता एवं सद्पयोग सुनिश्चित करने के लिए ऑडिट का विशेष महत्व है। सरकार ऑडिट व्यवस्था को सुदृढ़ करेगी एवं इस हेतु ऑडिट अधिनियम भी प्रस्तावित है।

बैंकिग सेवाऐं :

राज्य के आर्थिक विकास में बैकों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। वर्ष 2011–12 के आंकड़ों के अनुसार बैकों ने राज्य में लगभग `28768 करोड़ का ऋण वितरित किया है जबकि राज्य के बैंकों में लगभग `53798 करोड़ जमा

हुए हैं। राज्य में बैकों की औसत ऋण–जमा अनुपात (C.D. ratio) 53.47 प्रतिषत है। उत्तराखण्ड की विषेष भौगोलिक परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए वित्तीय समावेश (Financial inclusion) हेतु 1000 से कम आबादी वाले गांवों को भी कलस्टर बैंकिंग (Cluster Banking) सुविधा से जोड़े जाने हेतु रिजर्व बैंक से अनुरोध किया गया है।

अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से वित्त पोषण :

राज्य के विकास में वाह्य सहायतित परियोजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 2012–13 में कुल लगभग `1272 करोड़ व्यय होने का अनुमान है। इसके अन्तर्गत शहरी विकास कार्यों हेतु `270 करोड़, सड़कों के लिए `300 करोड़, पर्यटन सम्बन्धी कार्यो के लिए `40 करोड़ एवं ऊर्जा परियोजनाओं हेतु `375 करोड़ का वित्त पोषण एशियाई विकास बैंक से होना है। आईफैड से आजीविका सम्बन्धी कार्यो हेतु `63 करोड़ एवं विश्व बैंक पोषित पेयजल

योजनाओं को स्वैप माध्यम से क्रियान्वित करने के लिए `180 करोड़ का वित्त पोषण अनुमानित है।

केन्द्र सरकार से योजनाओं हेतु वित्तीय सहायता :

भारत सरकार से क्रियान्वयन करने वाले अभिकरणों को एक बड़ी राशि सीधे स्थानान्तरित की जाती है, जो राज्य की संचित निधि में परिलक्षित नहीं होती है। इस कारण आय–व्ययक प्रस्तावों में इसका उल्लेख नहीं किया जाता है। सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, इन्दिरा आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मनरेगा आदि ऐसी महत्वपूर्ण योजनाऐं हैं। राज्य सरकार इन महत्वपूर्ण योजनाओं का अधिकाधिक लाभ प्राप्त करेगी। शहरी क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु जे.एन.एन.यू.आर.एम. योजनान्तर्गत वर्ष 2012–13 में लगभग `100 करोड़ की वित्तीय सहायता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। तेरहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत वर्ष 2012–13 में लगभग `980 करोड़ प्रस्तावित है। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम

(ए.आई.बी.पी.) अन्तर्गत `400 करोड़ एवं केन्द्र पोषित बाढ़ परियोनाओं हेतु `80 करोड़ की वित्तीय सहायता वर्ष 2012–13 में भारत सरकार से प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। पिछड़े विकासखण्ड़ों के लिए बी.आर.जी. एफ. तथा सीमान्त विकासखण्ड़ों के लिए बी.ए.डी.पी. योजना क्रियान्वित की जा रही है। समग्र रूप से विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत केन्द्र सरकार से राज्य की संचित निधि के माध्यम से `5582 करोड़ अनुदान प्राप्त होना अनुमानित है।

राजकोषीय सेवाऐं :

राज्य की विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियों एवं प्रमुखतः उपभोक्ता प्रधान राज्य होने के दृष्टिगत राज्य के वित्तीय संसाधन अत्यन्त सीमित हैं जबकि शैशवाकाल व अन्य परिस्थितियों के परिपेक्ष में एक ओर हमें प्रदेश के विकास हेतु अभी काफी लम्बा सफर तय करना है तो दूसरी ओर लागत और समय की विषमताऐं भी हमारी चुनौतियाँ है। साथ ही यद्यपि सकल रूप से घाटे का बजट प्रस्तुत है तथापि कोई नया कर लगाया जाना

प्रस्तावित नहीं है परन्तु राजकोषीय उत्तदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम के लक्ष्यों के अनुरूप राजस्व घाटा शून्य एवं राजकोषीय घाटा निर्धारित सीमान्तर्गत प्रस्तावित है। आर्थिक मजबूती एवं विकास को गति देने के लिए संसाधन जुटाने तथा राजस्व वृद्धि के लिए सरकार आवश्यक उपाय करेगी। वर्ष 2012–13 से पासवर्ड आधार पर कम्प्यूटर एवं सेन्ट्रल सर्वर के माध्यम से बजट आवंटन प्रक्रिया प्रारम्भ की जा चुकी है। निविदा प्रक्रियाओं को अधिक विश्वसनीय तथा पारदर्शी बनाने के दृष्टिगत ई–टैण्डरिंग माध्यम से निविदाऐं प्राप्त की जा रही हैं।

वाणिज्य कर :

राज्य के कुल राजस्व आय का लगभग 25 प्रतिशत एवं स्वयं के राजस्व आय का लगभग 57 प्रतिशत वाणिज्य कर से प्राप्त होता है। वर्ष 2011–12 में वाणिज्य कर से `3642 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ जबकि वर्ष 2012–13 में कुल `4088 करोड़ प्राप्त होने का अनुमान है। राज्य सरकार कराधान प्रक्रिया के सरलीकरण, कम्प्यूटरीकरण तथा सूचना प्रौद्योगिकी के समुचित उपयोग

द्वारा व्यापरियों को आवश्यक सुविधाऐं प्रदान करने हेतु सतत् प्रयास कर रही है। साथ ही करापवंचन को रोकने के हर सम्भव प्रयास किये जायेंगे। व्यय पक्ष में वाणिज्य कर के अन्तर्गत 2012–13 के लिए ` 71 करोड़ का प्राविधान है।

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन :

राजस्व प्राप्ति की दृष्टि से स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन का भी महत्वपूर्ण योगदान है। आम जनता की सुविधा के लिए 17 सर्वाधिक राजस्व देने वाले उप निबन्धक कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण किया जा चुका है तथा भविष्य में कुछ और का कम्प्यूटरीकरण किया जाना प्रस्तावित है। देहरादून जनपद सदर कार्यालयों में ई–स्टाम्पिंग प्रणाली प्रारम्भ कर दी गई है जबकि हरिद्वार, उद्यमसिंह नगर, नैनीताल में भी इस प्रणाली को शीघ्र अपनाया जा रहा है। देहरादून सदर के उपनिबन्धक कार्यालय में सर्किल रेट ज्ञात करने की सुविधा हेतु क्योस्क मशीन लगाई गई है जिससे सर्किल रेट सहित लगने वाले स्टाम्प शुल्क व पंजीकरण शुल्क की जानकारी सरलता से आम जनता स्वयं प्राप्त कर

सकती है। गाँववार एवं नामवार 12 वर्ष की सूची का डिजिटाइजेशन किया जा रहा है।

वर्ष 2012–13 में स्टाम्प व रजिस्ट्रेशन से ₹574 करोड़ का राजस्व अनुमानित है जबकि व्यय पक्ष में ₹27 करोड़ का प्राविधान है।

आबकारी :

राजस्व प्राप्ति के प्रमुख स्रोत्रों में आबकारी से राजस्व का योगदान कम नहीं है। मदिरा व्यवसाय हेतु पूर्व निर्धारित नीति के अधीन दुकानों के व्यवस्थापन सहित विनियमन, नियंत्रण और प्रवर्तन कार्य संचालित किये जा रहे हैं।

वित्तीय वर्ष 2012–13 में आबकारी से ₹942 करोड़ राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य सहित व्यय पक्ष में ₹9 करोड़ का प्राविधान है।

परिवहन :

सड़क परिवहन का राज्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। यद्यपि मैदानी क्षेत्र स्थित कुछ स्थल रेल

सुविधा से भी जुड़े हैं तथापि सड़क परिवहन ही पर्वतीय क्षेत्र में यातायात का मुख्य साधन है। सरकार परिवहन क्षेत्र में सुधार तथा परिवहन सुविधाओं व सेवाओं के विकास हेतु प्रयासरत है। राजस्व प्राप्ति की दृष्टि से भी सड़क परिवहन का अपना विशिष्ट स्थान है। परिवहन निगम में ऑन लाइन ई टिकटिंग तथा कार्यालय में कम्प्यूटरीकरण का कार्य प्रस्तावित है। राज्य में रेल नेटवर्क बढ़ाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

वर्ष 2012–13 में परिवहन सम्बन्धी कार्यों हेतु `65 करोड़ का प्राविधान है जबकि `275 करोड़ की राजस्व प्राप्तियाँ अनुमानित है।

नागरिक उड्डयन :

राज्य में विमानन सेवाओं के विस्तार की गति विभिन्न समस्याओं के कारण अत्यन्त धीमी रही है। जौलीग्रान्ट हवाई अड्डे से नियमित उड़ानों के साथ अब नाइट लैण्डिंग की सुविधा स्थापित हो गई है। पन्तनगर हवाई अड्डे के विस्तार का कार्य अन्तिम चरण में है और यहाँ के लिए हवाई यात्राऐं प्रारम्भ करने का प्रयास किया

जा रहा है। नैनी–सैनी हवाई अड्डे पिथौरागढ़ के विस्तारीकरण का कार्य चल रहा है। गौचर एवं चिन्यालीसौड़ हवाई पट्टियों को भी क्रियाशील करने का प्रयास किया जा रहा है।

नागरिक उड्डयन विभाग के अन्तर्गत वर्ष 2012–13 के लिए `21 करोड़ का प्राविधान है।

ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा :

राज्य के विकास को गति देने के लिए वहन योग्य दरों पर विद्युत की उपलब्धता सुनिश्चित करना अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु एक ओर विद्युत की मांग तथा उत्पादन व उपलब्धता के अन्तर को कम करने तो दूसरी ओर विद्युत वितरण तन्त्र को कुशल व दक्ष बनाने और न्यूनतम अनुमन्य हानि स्तर को प्राप्त करने की कठिन चुनौती है। इन चुनौतियों का निराकरण सभी सम्मानित सदस्यों तथा आम जनता के सहयोग के बिना सम्भव नहीं होगा। मेरा मानना है कि विद्युत क्षेत्र पर तत्काल विशेष ध्यान केन्द्रित करना अतिआवश्यक है। मान्यवर मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि इस

उपभोक्ता प्रधान एवं विषम भौगोलिक परिस्थितियों से युक्त पर्वतीय भूभाग के परिप्रेक्ष्य में उत्पादन, आर्थिक विकास दर और रोजगार में पर्याप्त अवसर बढ़ाने के लिए हम सब मिलकर प्रदेश की ऊर्जा सम्बन्धी उपरोक्त आवश्यकताओं को समयबद्ध रूप से पूरा कर सकेंगे। साथ ही उपभोक्ता जागरूकता तथा सुविधा पर भी पर्याप्त ध्यान दिया जाना है। उल्लेखनीय है कि राज्य की विद्युत वितरण संस्था अर्थात् उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन निगम का संचित घाटा लगभग `2750 करोड़ है। इसके अतिरिक्त इस निगम की विभिन्न उपभोक्ताओं से विलम्ब भुगतान अधिभार सहित लगभग `2000 करोड़ धनराशि की लेनदारी लम्बित है और इस संस्था पर उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम से क्रय की गई विद्युत सहित लगभग `1447 करोड़ की देनदारी लम्बित है। यह स्थिति अत्यन्त चिन्ताजनक है। विद्युत वितरण व्यवसाय के खराब वित्तीय स्वास्थ्य से विद्युत उत्पादन के लिए जिम्मेदार जल विद्युत निगम तथा विद्युत पारेषण हेतु जिम्मेदार पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन के वित्तीय स्वास्थ्य पर भी कुप्रभाव पड़ना

स्वाभाविक है। साथ ही राज्य को भी अपेक्षित राजस्व प्राप्त नहीं हो पा रहा है जिसके क्रम में विकास व कल्याणकारी कार्यों हेतु सरकार को वित्तीय संसाधनों की कमी से जूझना पड़ रहा है। विद्युत हानि को रोकने के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक स्तर पर न केवल शत् प्रतिशत मीटर लगें बल्कि स्थापित मीटर कार्यशील भी रहें। यदि हमें भविष्य में वहन योग्य दरों पर विद्युत की सुचारू उपलब्धता का सपना पूर्ण करना है तो आम जनता एवं हम सभी को हानियाँ कम करने, चोरी रोकने एवं शत् प्रतिशत मीटरिंग में सहयोग करना होगा।

इस सम्बंध में राज्य सरकार विद्युत वितरण व्यवस्था में सुधार का प्रयास करेगी जिस हेतु आवश्यकतानुसार समुचित वैकल्पिक उपायों पर भी विचार किया जाना होगा।

सरकार निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाओं का निर्माण पूर्ण कराने एवं विद्युत उत्पादन तथा उपलब्धता में वृद्धि करने के सभी सम्भव प्रयास करेगी। विद्युत वितरण तन्त्र में सभी स्तर की पूर्ण मीटरिंग सहित इनर्जी ऑडिट को

शीर्ष वरीयता देते हुए विद्युत हानियाँ न्यूनतम अनुमन्य स्तर तक लाने और चोरी रोकने के उपाय करेगी। 400 के.वी. श्रीनगर तथा 132 के.वी. सितारगंज विद्युत उप संस्थान सहित अन्य विद्युत पारेषण परियोजनाओं को पूर्ण करते हुए जल विद्युत परियोजनाओं से विद्युत निकासी एवं उपभोक्ताओं तक विद्युत की पहुंच हेतु पारेषण तन्त्र एवं वितरण प्रणाली को और सुदृढ़ किया जायेगा।

मान्यवर प्रदेश के दूरस्थ स्थित दुर्गम व अतिदुर्गम क्षेत्रों में स्थानीय जनता द्वारा संचालित लघु जल विद्युत परियोजनाओं के माध्यम से इन क्षेत्रों में विद्युत उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। इसी कड़ी में 1240 किलोवाट क्षमता की 8 लघु जल विद्युत परियोजनाऐं निर्माणाधीन हैं। यह परियोजनाऐं न केवल विद्युत की उपलब्धता के लिए महत्वपूर्ण हैं बल्कि इनके संचालन व रख–रखाव के माध्यम से स्थानीय आम जनता की क्षमता वृद्धि व जागरूकता को भी बढ़ावा मिल रहा है। घराट सुधारीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय सहायता द्वारा आधुनिक घराटों की स्थापना से कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जा

रहा है। इस प्रकार गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोतों जैसे लघु जल विद्युत उत्पादन, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा तथा बायो ऊर्जा के माध्यम से स्थानीय स्तर पर विद्युत उत्पादन तथा उपलब्धता को बढ़ावा दिया जायेगा। जनपद टिहरी में 2.40 मेगावाट क्षमता वाली उत्तराखण्ड राज्य की पहली पवन ऊर्जा आधारित विद्युत उत्पादन परियोजना शीघ्र प्रारम्भ की जायेगी।

विद्युत उत्पादन तथा उपभोग के साथ–साथ ऊर्जा संरक्षण का भी अत्यधिक महत्व है और यह आज की आवश्यकता है। प्रत्येक क्षेत्र में ऊर्जा संरक्षण से कम लागत में ऊर्जा उपलब्धता तथा अपनी आवश्यकताऐं पूर्ण करना सम्भव है। इस दिशा में भी सरकार प्रयास कर रही है एवं सभी से अपेक्षा है कि ऊर्जा संरक्षण को अपनी आदत बना कर जीवन का अंग बनाया जाय। अन्तर विभागीय सामंजस्य से ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा दिया जाएगा।

वर्ष 2012–13 में ऊर्जा क्षेत्र हेतु `599 करोड़ एवं वैकल्पिक ऊर्जा हेतु `12.60 करोड़ का प्राविधान है।

सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण :

राज्य के आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान में कृषि और कृषि उत्पादन में सिंचाई का महत्वपूर्ण योगदान है। जहां एक ओर कृषि उत्पादन के लिए वर्तमान सिंचाई व्यवस्थाओं की उचित देखरेख तथा मरम्मत आवष्यक है वहीं कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए अतिरिक्त सिंचन क्षमता का सृजन और जल का अधिकतम लाभ लेने के लिए नई तकनीकी के उपयोग सहित सिंचाई प्रणाली में जल की हानि को न्यूनतम करना भी महत्वपूर्ण है। साथ ही बाढ़ सुरक्षा कार्यो से कृषि भूमि तथा आबादी की सुरक्षा क्रियाकलाप भी आवष्यक हैं। अधिक कृषि उपज के लिए भरपूर सिंचाई सुविधा के प्रयास किये जा रहे हैं। कच्ची गूलों को पक्का करना, गूलों का निर्माण तथा नलकूप, हौज आदि सिंचाई साधनों का निर्माण प्रस्तावित है। सिंचाई के आधुनिक साधनों को विकसित करने हेतु प्रयास किया जाएगा। जमरानी बांध परियोजना पर अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी। सिंचाई तथा बाढ़ सुरक्षा की केन्द्र पोषित योजनाओं का अधिकाधिक लाभ लिया जायेगा।

वर्ष 2012–13 में सिंचाई, लघु सिंचाई एवं बाढ़ सुरक्षा कार्य हेतु `1056 करोड़ का प्राविधान है।

पेयजल :

राज्य सरकार नगरों, राजस्व ग्रामों, उप ग्रामों तथा बस्तियों में स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रयासरत है। जल स्रोत्र विहीन क्षेत्रों में जल संरक्षण व संवर्द्धन की व्यवस्था सहित वर्षा जल दोहन व संरक्षण के प्रयास किये जायेंगे। पेयजल की गुणवत्ता सहित ''**सम्पूर्ण स्वच्छता**'' पर भी ध्यान दिया जा रहा है। पेयजल तथा जलोत्सारण हेतु केन्द्र पोषित व वाह्य सहायतित योजनाओं के कियान्वयन पर बल दिया जायेगा। रिमोट सेंन्सिंग माध्यम से जल स्रोतों एवं स्थलों का चिन्हीकरण कर मास्टर प्लान तैयार किया जायेगा।

वर्ष 2012–13 में पेयजल, जलोत्सारण तथा स्वच्छता कार्यों हेतु `429 करोड़ का प्राविधान है।

सड़क एवं सेतु :

राज्य सरकार प्रदेश में सड़क सुविधाओं के समुचित विकास के लिए विभिन्न नगरों, तीर्थस्थलों, पर्यटक स्थलों के साथ–साथ दूरस्थ ग्रामों, कृषि उत्पादक और पर्यटक क्षेत्रों आदि को सड़क संयोजकता की सुविधा प्रदान करने हेतु सड़कों तथा सेतुओं के निर्माण सहित निर्मित मार्गों के रख–रखाव, सुधार एवं उच्चीकरण के लिए सतत् प्रयासरत् है। देहरादून में यातायात घनत्व बढने की समस्याओं के समाधान हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के माध्यम से रिंग रोड़ बनवाने का प्रयास किया जा रहा है। एशियाई विकास बैंक से वित्त पोषण के तृतीय चरण की बाह्य सहायतित योजनान्तर्गत मोटर मार्गों का सुधार कार्य प्रस्तावित है। गावों को सड़क मार्ग से जोड़ने के कार्य में गति लाई जायेगी। निर्मित हो चुकी नई कच्ची सड़कों के डामरीकरण पर बल दिया जायेगा तथा निर्मित हो चुकी सड़कों को यातायात हेतु शीघ्रता से अनुमति देने का प्रयास किया जायेगा। पर्वतीय तथा सीमा के निकटवर्ती प्रमुख स्थलों से सम्बंधित मार्गों को पूरे वर्ष यातायात हेतु

सुलभ कराने का प्रयास किया जायेगा। साथ ही ऐसे दूरस्थ प्रमुख स्थलों की सड़क दूरी कम करने के लिए अध्ययन कर योजना प्रारूप तैयार की जायेगी ताकि आवागमन हेतु लगने वाले समय में पर्याप्त कमी के साथ–साथ खर्च तथा परेशानी को न्यून किया जा सके। इससे एक ओर आर्थिक गतिविधियों, पर्यटन आदि को गति मिलेगी तो दूसरी ओर पलायन की समस्या पर भी नियंत्रण के साथ–साथ ईधन की खपत कम होने से ग्लोबल वार्मिंग व जलवायु परिवर्तन की समस्या के समाधन में भी सहयोग मिलेगा। सामरिक दृष्टि से भी कम दूरी के मार्गों में वर्ष भर तथा चौबीस घण्टे यातायात हेतु सड़क संयोजकता उपलब्ध हो सकेगी।

सड़कों एवं पुलों सहित विभिन्न लोक निर्माण कार्यों हेतु वर्ष 2012–13 में ` 1277 करोड़ का प्राविधान है।

औद्योगिक विकास :

विगत वर्षों में राज्य की उच्च आर्थिक विकास दर में औद्योगिक विकास की प्रमुख भूमिका रही है तथा रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि हुई है। उद्योगपतियों की सुविधा के

लिए एकल खिड़की सम्पर्क एवं सूचना व्यवस्था को आधुनिक तकनीकी का उपभोग कर सुदृढ़ किये जाने का प्रयास किया जा रहा है। सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों के क्लस्टर विकास हेतु प्रयास किये जायेंगे। उद्यमिता विकास कार्यक्रमों के माध्यम से स्थानीय शिक्षित युवाओं को स्वरोजगार तथा उद्यम स्थापना हेतु प्रेरित किया जा रहा है। साथ ही, कौशल विकास के द्वारा रोजगार के बेहतर अवसर एवं क्षमता उपलब्ध कराने का प्रयत्न किया जा रहा हैं। हथकरघा समूहों के माध्यम से सामूहिक सुविधा केन्द्र, डिजाइन सुधार, प्रशिक्षण आदि सुविधाऐं प्रदान की जा रही है। हथकरघा एवं हस्तशिल्प उत्पादों के विपणन की व्यवस्था की जा रही है।

वर्ष 2012–13 में औद्योगिक विकास के कार्यक्रमों के लिए `52 करोड़ का प्रस्ताव है।

आवास एवं शहरी विकास :

राज्य के शहरी एवं आसपास के क्षेत्रों में आबादी काफी तेज गति से बढ़ रही है। इन क्षेत्रों के समुचित नियोजन एवं नियंत्रित विकास के लिए राज्य में कार्यरत

विकास प्राधिकरण, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण तथा नियत प्राधिकारियों के माध्यम से प्रयास किये जा रहे हैं। शहरी क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास तथा उच्चीकरण एवं गरीबी उन्मूलन कार्यों का क्रियान्वयन किया जा रहा है। केन्द्र पोषित योजनान्तर्गत संचालित स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना में राज्य की परिस्थितियों तथा राज्य में उपलब्ध सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए उसके अनुरूप रोजगार की सम्भावनाओं से युक्त ट्रेडों में राज्य के युवक–युवतियों को प्रशिक्षण प्रदान कर अपने ही परिवेश में रोजगार प्राप्त करने के उद्‌देश्य से राज्य सरकार द्वारा 'उत्थान' योजना प्रारम्भ की जा रही है, जिसके अधीन 2012–13 में 5000 शहरी युवक–युवतियों को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य है। तेरहवें वित्त आयोग सहित जे.एन.एन.यू.आर. एम. एवं एशियन डेवलेपमैन्ट बैंक के वित्त पोषण से विभिन्न योजनाऐं क्रियान्वित की जा रही हैं। मलिन बस्तियों के निवासियों हेतु आवासीय व्यवस्था करने और मलिन बस्तियों के स्थान पर बेहतर सुख सुविधाओं युक्त आवासों

की व्यवस्था करने के लिए **''राजीव गांधी योजना''** व अन्य योजनाऐं क्रियान्वित की जा रही हैं। शहरों में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन (Solid Waste Management) तथा सीवरेज व्यवस्था के अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य किये जा रहे हैं। नगरीय क्षेत्रों में रैन बसेरों का निर्माण कराया जाएगा।

वर्ष 2012–13 में शहरी विकास तथा आवास विभाग हेतु `676 करोड़ का प्राविधान है।

समाज कल्याण :

अनुसूचित जाति, जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्यसंख्यक वर्ग सहित निराश्रित एवं निःशक्तजन समाज के अभिन्न अंग हैं। इनके कल्याण हेतु सरकार विभिन्न क्रियाकलापों एवं योजनाओं के माध्यम से कार्यवाही कर रही है। आउटसोर्सिंग से भरे जा रहे पदों के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था लागू की गई है जिससे समाज के उपेक्षित वर्गों को रोजगार के पर्याप्त अवसर मिलेंगे। छात्र–छात्राओं को छात्रवृत्ति, आश्रम पद्धति स्कूलों के संचालन, छात्रावास सुविधाऐं, प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु कोचिंग, आवासीय सुविधा आदि कार्यक्रमों को चलाया जा

रहा है। बी.पी.एल. परिवारों की इन्टरमीडिएट उत्तीर्ण करने वाली बालिकाओं को गौरा देवी कन्या धन योजना से लाभान्वित किया जा रहा है। निराश्रित विधवाओं तथा वृद्धजनों को भी मासिक पेंशन के माध्यम से सहायता प्रदान की जा रही है। विधवाओं की पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान सहित वृद्ध व अशक्त व्यक्तियों हेतु आश्रम व भिक्षुक गृहों की व्यवस्था भी की जा रही है। सरकार अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु समुचित प्रयास कर रही है। राज्य में मौलाना आजाद एजुकेशन फाइनेन्स फाउन्डेशन की स्थापना की जाएगी जिसके माध्यम से गरीब अल्पसंख्यक वर्ग हेतु उच्च शिक्षा आदि हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। अल्पसंख्यक निदेशालय की स्थापना की जा रही है जिसके माध्यम से अल्पसंख्यक कल्याण की सभी योजनाओं को गति दी जाएगी।

समाज कल्याण योजनाओं सामाजिक हेतु वर्ष 2012–13 में लगभग ` 1000 करोड़ का प्राविधान है।

सैनिक कल्याण :

देश की सेवा में उत्तराखण्ड के वीर सैनिकों का परम्परागत रूप से विशिष्ट योगदान है। सेवानिवृत्ति के बाद पूर्व सैनिकों के रूप में राज्य की इस अनुशासित मानव शाक्ति का हमारे समाज व प्रदेश के विकास में विशेष महत्व है। राज्य सरकार पूर्व सैनिकों, सैनिकों की विधवाओं तथा परिवारजनों के लिए विभिन्न क्रियाकलाप चला रही है। पूर्व सैनिकों को उनकी योग्यतानुसार रोजगार के अवसर प्रदान किये जा रहे हैं।

सैनिक कल्याण हेतु वर्ष 2012–13 में ` 32.50 करोड़ का प्राविधान है।

महिला सषक्तिकरण एवं बाल विकास :

उत्तराखण्ड में महिला साक्षरता दर पुरूषों में 88.33 प्रतिशत के सापेक्ष मात्र 70.70 प्रतिशत है। यहाँ की 25.7 प्रतिशत महिलाओं का बॉडी मास इन्डेक्स सामान्य से कम है तथा संस्थागत प्रसव दर 36 प्रतिशत है। राज्य में शिशु मृत्यु दर 48 है जिसके सापेक्ष ग्रामीण क्षेत्र में यह दर 52 तथा नगरीय क्षेत्र में 25 है। तीन वर्ष के आयुवर्ग

के 38 प्रतिशत बच्चे कुपोषित हैं। लिंग अनुपात में सुधार सहित उक्त एवं अन्य मामलों में उत्तराखण्ड राज्य को अभी काफी कार्य करना है। आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से स्कूल पूर्व शिक्षा प्रदान करने,किशोरी शक्ति,सबला तथा महिला समेकित विकास योजना आदि के अन्तर्गत महिलाओं के सशक्तिकरण, स्वास्थ्य और साक्षरता के लिए प्रयास किये जा रहे हैं। साथ ही माताओं व बच्चों के कुपोषण की समस्या को दूर करने, लिंग अनुपात में सुधार करने आदि विभिन्न क्रियाकलाप संचालित लिये जा रहे हैं तथा तदानुसार वर्ष 2017 तक इन क्रियाकलापों के सापेक्ष प्रगति के स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं।

वर्ष 2012–13 में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग हेतु `425 करोड़ का प्राविधान किया गया है।

जलागम :

प्राकृतिक संसाधनों के सुनियोजित उपयोग व प्रबन्धन तथा कृषि आधारित कार्यक्रमों को जनोपयोगी बनाने और विकास को संपोषणीय गति देने के लिए

जलागम प्रबन्धन आधारित विकास का विषेष महत्व है। जलागम प्रबन्ध योजनाऐं ग्राम पंचायतों के माध्यम से सामुदायिक सहभागिता से चलाई जा रही हैं जिस कारण ग्रामीणों तथा ग्रामीण संस्थाओं की क्षमता एवं कौषल विकास का लाभ भी प्राप्त हो रहा है। साथ ही उत्पादकता वृद्धि आदि से ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक विकास में भी मदद हो रही है। विकेन्द्रीकृत जलागम विकास परियोजना (ग्राम्या) के प्रथम चरण के क्रम में वर्ष 2012–13 से द्वितीय चरण का निरूपण एवं कार्यान्वयन किया जाना प्रस्तावित है। ग्लोबल इन्वायरनमेंन्ट फेसिलिटी ट्रस्ट फन्ड अर्थात जी.ई.एफ. से वित्त पोषित जलागम विकास के कार्य जून 2013 में पूर्ण होंगे जबकि इन्टरनेषनल फन्ड फार एग्रीकल्चर डेंवलपमेन्ट अर्थात आईफैड वित्त पोषित आजिविका द्वितीय चरण की योजना भी संचालित की जा रही है।

वर्ष 2012–13 में जलागम सम्बन्धी कार्यो के लिए `50 करोड़ का प्रविधान है।

वन एवं पर्यावरण :

मान्यवर, हमारा यह स्पष्ट मत है कि मानव सहित प्राणियों की रक्षा के लिए पर्यावरण की रक्षा और पर्यावरण की रक्षा के लिए वनों की रक्षा, विकास एवं संवर्धन आवश्यक है। आज जलवायु परिवर्तन एवं इसके खतरों के प्रति जागरूक होने और इस सम्बन्ध में लघु, मध्यम तथा दीर्घकालिक उपाय करना हम सभी की जिम्मेदारी है। पारिस्थितिकीय दृष्टि से इस हिमालयी क्षेत्र में अवस्थित हमारा प्रदेश अति संवेदनशील है। ''**कैम्पा**'' सहित विभिन्न योजनाओं व क्रियाकलापों के माध्यम से वनों के विकास व संवर्धन तथा वन्य जीवों के संरक्षण हेतु सरकार प्रयासरत है। उत्तराखण्ड की वन पंचायतों के रूप में अनूठी व्यवस्था को बढ़ावा देने के साथ महिलाओं की इस प्रयास में भागीदारी प्राप्त की जा रही है। वन, वन्य जीव तथा पर्यावरण की विशिष्ट एवं अमूल्य धरोहर तथा राज्य की जैव विविधता व सौन्दर्य आदि के रूप में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण व संवर्धन करने के साथ इसके प्रति जागरूकता व जिम्मेदारी और साथ ही राज्य

के इस संसाधन का उपयोग रोजगार व आर्थिकी से जोड़ने के लिए सरकार पारिस्थितीकीय पर्यटन निगम अर्थात **''ईको टूरिज्म कारपोरेशन''** का गठन करेगी। अन्तर विभागीय सामंजस्य से पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी क्रियाकलापों को क्रियान्वित किया जाएगा। मानव–वन्य जीव संघर्ष की घटनाओं में त्वरित अनुग्रह राशि के भुगतान हेतु निधि की स्थापना की जाएगी। ग्रीन इण्डिया मिशन योजनान्तर्गत बेस लाइन सर्वे कर दस वर्षीय योजना बनाई जाएगी।

कैम्पा के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यों और उस हेतु उपलब्ध धनराशि के अतिरिक्त वर्ष 2012–13 के लिए वन एवं पर्यावरण हेतु `384 करोड़ का प्राविधान है।

कृषि :

वर्तमान में हमारे प्रदेष में खाद्यान्न उत्पादन का स्तर 17 लाख 28 हजार मीट्रिक टन है तथा दलहन व तिलहन की भारी कमी है। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए राज्य में पर्वतीय एवं मैदानी क्षेत्रों के अनुरूप कृषि विकास के लिए रणनीति निर्धारित की जा रही है। पर्वतीय क्षेत्रों में विषम

भौगोलिक संरचना के कारण लगभग 5.33 लाख हैक्टेयर कृषि भूमि मृदा एवं जल संरक्षण के दृष्टिकोण से संवेदनशील है। इस क्षेत्र में जैविक खेती के साथ–साथ कृषि विविधिकरण पर बल दिया जायेगा और जल के समुचित प्रबन्धन तथा उसका सिंचाई हेतु उपयोग के लिए प्रयास किया जायेगा। श्रम एवं लागत में कमी के लिए **''पावर टिलर''** व **''पावर वीडर''** जैसे हल्के कृषि यंत्रों के उपयोग को बढ़ाने के लिए प्रयास किये जायेंगे। पर्वतीय क्षेत्र में विभिन्न स्थानीय फसल प्रजातियों के उन्नत बीजों की कमी को दूर करने के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अर्न्तगत कार्यवाही सहित पोस्ट हार्वेस्ट तकनीकी के विस्तार हेतु व्यवस्था की जा रही है। मृदा स्वास्थ्य संरक्षण को सुदृढ़ आधार प्रदान करने एवं कृषि के प्रति ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों में रूचि उत्पन्न करने के लिए मृदा परीक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ करने सहित कृषि की नवीनतम जानकारियों और वैज्ञानिक ढंग से खेती सम्बन्धित प्रसार कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की जा रही है। कृषि विकास में गैर सरकारी संगठनों की सहभागिता

प्राप्त करने पर विचार किया जा रहा है। इक्रीसेट के सहयोग से अरहर उत्पादन बढ़ाने के प्रयास किये जायेंगे। पन्तनगर विष्वविद्यालय में स्थापित किए गये 90.8 फ्रीक्वेंसी बैंड के एफ.एम. रेडियो की परिधि वर्तमान में 15 कि.मी. से 50 कि.मी. क्षेत्र में किया जाना प्रस्तावित है। नकदी फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु प्रयास किये जाऐंगे।

कृषि के लिए वर्ष 2012–13 `384 करोड़ का प्राविधान है।

गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग :

सरकार गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग की चुनौतियों एवं समस्याओं के सम्बन्ध में परीक्षण कर इनके निराकरण हेतु समुचित उपाय करने का प्रयास करेगी। सरकारी तथा सहकारी क्षेत्र की चीनी मिलों की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ नहीं है। इस समबन्ध में स्थिति का आंकलन करते हुए व्यवहारिक समाधान तलाष कर सम्यक कार्यवाही हेतु विचार किया जायेगा।

गन्ना तथा चीनी उद्योग सम्बन्धी कार्यो हेतु वर्ष 2012–13 में ` 12 करोड़ का प्राविधान है।

औद्यानिकी :

प्रकृति ने हमें फल, फूल, सब्जी एवं जड़ी–बूटी के रूप में अनुपम उत्पाद उपलब्ध कराये हैं। हमारा सौभाग्य है कि उत्तराखण्ड की भौगोलिक परिस्थिति तथा जलवायु प्रकृति की इस सौगात को प्रदान करने में सहयोगी है। औद्यानिकी विकास कार्य पर्यावरण के अनुकूल भी है। फलों, सब्जियों, फूलों, जड़ी–बूटी, रेशम तथा चाय उत्पादन को बढ़ावा देने से एवं इसमें आधुनिक तकनीकी व वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करने से एक ओर आम जनता के लिए (विशेषकर पर्वतीय भू–भाग में) रोजगार सृजन व आय वृद्धि का मार्ग प्रशस्त होगा, तो दूसरी ओर प्रदेश की आर्थिक वृद्धि सहित जलवायु परिवर्तन के खतरे को कम करने में भी सहयोग होगा। अतः राज्य सरकार औद्यानिकी विकास के लिए प्रयास करेगी। इसी उद्देश्य से फल, पुष्प, सब्जी, जड़ी–बूटी आदि उत्पादन के क्षेत्रों में किसानों, युवाओं और ग्रामीण मजदूरों को आधुनिक

बागवानी प्रशिक्षण दिया जायेगा एवं बागवानी प्रसार कार्यों हेतु समुचित प्रयास किया जायेगा। रानीखेत स्थित उद्यान को बागवानी प्रशिक्षण संस्थान के रूप में विकसित किया जाएगा। फल प्रसंस्करण ईकाइयों सहित औद्यानिकी आधारित उद्योगों की स्थापना पर ध्यान दिया जायेगा। वर्तमान में राज्य में औद्यानिक उत्पादों के विपणन हेतु कोई संस्थागत व्यवस्था नहीं है। जिस कारण फल, सब्जी एवं पुष्प उत्पादन की काफी मात्रा बर्बाद भी हो जाती है। इन समस्याओं के समाधान हेतु राज्य स्तरीय 'उत्तराखण्ड औद्यानिक विपणन परिषद' का गठन किया जाएगा ताकि फल एवं सब्जी उत्पादन का प्रभावपूर्ण विपणन व्यवस्था की जा सके तथा फल उत्पादकों व किसानों को उनके उत्पादन का उचित मूल्य मिल सके। इस पहल के लिए `5 करोड़ की चक्रीय निधि भी गठित की जाएगी।

वर्ष 2012–13 में औद्यानिकी गतिविधियों के लिए `101 करोड़ का प्राविधान है।

पशुपालन, डेयरी विकास तथा मत्स्य पालन :

पशुपालन एवं डेयरी हमारी आर्थिकी तथा आजिविका के महत्वपूर्ण घटक हैं। पशुपालन व दुग्ध विकास हेतु पशु नस्ल सुधार, पशुओं की चिकित्सा सुविधा, टीकाकरण आदि अनेक क्रियाकलाप किये जा रहे हैं। पशुओं के लिए चारा बैंकों की स्थापना तथा पौष्टिक आहार वितरण कराया जा रहा है। स्वरोजगार हेतु कुक्कुट पालन आदि कार्यक्रम उपयोगी हैं। पशुपालकों द्वारा उत्पादित दूध के विपणन को सुनिश्चित करने हेतु दुग्ध सहकारिता व अवशीतन केन्द्रों की भूमिका महत्वपूर्ण है। वर्तमान में दुग्ध सहकारी समिति सदस्यों को अभी आवश्यकतानुसार दो अथवा चार दुधारू पशुओं हेतु ऋण व अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है। इसी व्यवस्थान्तर्गत सरकार ग्रामीण क्षेत्र में गरीब परिवारों के लिए चार की संख्या तक दुधारू पशु की खरीद पर ऋण व अनुदान की राशि बढ़ाने तथा दुग्ध समितियों को गठित करते हुए इसमें महिलाओं को विशेष प्रोत्साहन देने पर विचार करेगी। दुग्ध उत्पादन वाले क्षेत्रों में आवश्यकता अनुरूप दूध भंडारण के लिए

चिलिंग प्लांट स्थापित करने हेतु कार्यवाही की जायेगी। मत्स्य पालन व्यवसाय को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न प्रयास किये जा रहे हैं जिसके अन्तर्गत तालाबों को बहुवर्षीय पट्टे पर देने, तालाबों का निर्माण कर मछली पालन हेतु ऋण एवं अनुदान आदि क्रियाकलाप किये जा रहे हैं। हैचरियाँ व मत्स्य प्रक्षेत्रों से मत्स्य बीज उत्पादित कर मत्स्य पालन हेतु वितरित करने के साथ–साथ मत्स्य संरक्षण एवं सम्बर्द्धन हेतु जलक्षेत्रों में संचित किया जा रहा है।

वर्ष 2012–13 में पशुपालन,डेयरी विकास तथा मत्स्य पालन हेतु `131 करोड़ का प्राविधान है।

सहकारिता :

सीमित साधनों व संसाधनों से ईष्टतम उत्पादन तथा लाभ लेने के लिए सहकारिता सिद्धान्त और पद्धति अत्यन्त महत्वपूर्ण है। विभिन्न स्तर की सहकारी संस्थाओं के माध्यम से ऋण उपलब्धता तथा कृषि निवेशों व उपभोक्ता वस्तुओं के वितरण तथा आपूर्ति सहित विपणन एवं समर्थन मूल्य पर खाद्यान्न अधिप्राप्ति की कार्यवाही की जा रही है।

समस्त जिला सहकारी बैंकों का कम्प्यूटरीकरण किया जा रहा है। अनाच्छादित जनपदों चम्पावत, बागेश्वर, उत्तरकाशी एवं रूद्रप्रयाग में एकीकृत सहकारी विकास परियोजना लागू करने की कार्यवाही प्रगति में है। सहकारी समितियों के सुदृढ़ीकरण के लिए **''वैद्यनाथन कमेटी''** की सिफारिशों को लागू किया जायेगा। केन्द्र सरकार के सहयोग से विकासखण्ड स्तर पर उर्वरक, बीज एवं अन्न भंडारण हेतु गोदामों के निर्माण कराने एवं इनका संचालन सहकारी समितियों के माध्यम से कराने हेतु विचार किया जायेगा।

सहकारिता के लिए वर्ष 2012–13 में ` 63 करोड़ का प्राविधान है।

चिकित्सा,स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा आयुष :

राज्य सरकार बारहवीं पंचवर्षीय योजनाकाल के अन्त तक मातृ–शिशु मृत्यु दर सहित अन्य स्वास्थ्य मानकों के लिए सुस्पष्ट लक्ष्य एवं उद्‌देश्य निर्धारित करते हुए आम जनता को चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाऐं उपलब्ध करायेगी। आम नागरिकों को प्राथमिक, द्वितीय

एवं तृतीयक स्तर की चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं उपलब्ध करायी जा रही हैं। वर्तमान में चिकित्सकों की कमी के कारण चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता में कतिपय बाधाऐं है परन्तु वैकल्पिक रूप में सचल चिकित्सालयों के माध्यम से चिकित्सा सेवाऐं उपलब्ध कराई जा रही है। चिकित्सकों की कमी को दूर करने के प्रयास सहित लोक निजी सहभागिता (पी.पी.मोड) माध्यम से चिकित्सा व तत्सम्बन्धी सेवाऐं उपलब्ध कराने की पहल को बढ़ावा दिया जायेगा। देहरादून के कार्डियोलॉजी सेन्टर में शीघ्र सर्जरी सेवाऐं प्रारम्भ करने के प्रयास हैं। कोटद्वार एवं पिथौरागढ़ में डाइगनोस्टिक सेन्टर की स्थापना की कार्यवाही गतिमान है। कतिपय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को लोक निजी सहभागिता (PPP) के आधार पर संचालित करना प्रस्तावित है। साथ ही टेली मेडिसिन सहित घर बैठे चिकित्सा परामर्श की व्यवस्था पर विचार किया जा रहा है। वैकल्पिक चिकित्सा व स्वास्थ्य सेवाओं के रूप में आयुर्वेद तथा होम्योपैथी पद्धति पर ध्यान दिया जा रहा है।

वर्ष 2012–13 में चिकित्सा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण तथा आयुष विभाग हेतु `770 करोड़ का प्राविधान है।

चिकित्सा शिक्षा :

राज्य में चिकित्सा सम्बन्धी विभिन्न सेवाओं को सुदृढ़ करने एवं युवाओं के लिए इस क्षेत्र में रोजगार का मार्ग प्रशस्त करने के लिए चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र को मजबूत बनाने का प्रयास किया जा रहा है। वर्तमान मेडिकल कालेजों के सुचारू संचालन सहित नये कालेजों की स्थापना के कार्य को आगे बढ़ाया जाएगा। तेरहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत स्वीकृत पांच नर्सिंग कालेजों की स्थापना को गति दी जाएगी। ऋषिकेश में स्थापित किए जा रहे एम्स संस्थान की स्थापना को शीघ्र पूर्ण कराकर संचालन प्रारम्भ कराया जायेगा।

चिकित्सा शिक्षा हेतु वर्ष 2011–12 में `325 करोड़ का प्राविधान है।

विद्यालयी शिक्षा :

उत्तराखण्ड की साक्षरता दर 79.63 प्रतिशत है। इसमें वृद्धि के प्रयास किये जा रहे हैं। राज्य में प्राथमिक

स्तर पर नामांकन दर 99 प्रतिशत तथा माध्यमिक स्तर पर नामांकन दर 73.88 प्रतिशत है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के माध्यम से नामाकंन दर में और सुधार लाया जायेगा। राज्य सरकार 5 से 14 वर्ष के बच्चों का विद्यालय में शत् प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित करने हेतु उपाय और प्रयास करेगी।

प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अधीन सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के 25 प्रतिशत बच्चों को निजी स्कूलों में शिक्षा का अवसर देने के लिए समुचित प्रयास किये जायेंगे। प्राथमिक शिक्षा को प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए इस हेतु प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा रहा है। शैक्षिक रूप से पिछड़े 19 विकासखण्डों में मॉडल स्कूल एवं बालिका छात्रावास स्थापित करने का प्रस्ताव है। आवासीय विद्यालयों के सुचारू रूप से संचालन हेतु राज्य के आठ राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों सहित अन्य आवासीय विद्यालयों को सोसाइटी मोड में संचालित करने का विचार है। आवासीय विद्यालयों को लोक जन

सहभागिता आधार पर संचालित करने का भी विचार है। कतिपय प्राथमिक विद्यालयों को अंग्रेजी माध्यम से पी.पी. पी. मोड़ में संचालित किया जायेगा।

वर्ष 2012—13 में विद्यालयी शिक्षा हेतु `3904 करोड़ का प्राविधान है जो कुल अनुमानित व्यय का लगभग 17.80 प्रतिशत है।

उच्च शिक्षा :

मानव समाज के चहुंमुखी विकास की दृष्टि से तथा युवकों को रोजगार से जोड़ने में उच्च शिक्षा का हमारे जीवन में विशेष महत्व है। पारम्परिक एवं रोजगारपरक पाठ्यक्रमों सहित मुक्त शिक्षा की सुलभ एवं बेहतर सुविधाऐं उपलब्ध कराने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिक तकनीकी का उपयोग कर एडुसैट के माध्यम से शिक्षण को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।

उच्च षिक्षा हेतु वर्ष 2012—13 में `227 करोड़ का प्राविधान प्रस्तावित है।

तकनीकी शिक्षा तथा प्रशिक्षण :

राज्य की युवा पीढ़ी को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने एवं कौशल विकास हेतु तकनीकी शिक्षा तथा प्रशिक्षण का विशेष महत्व है। उत्तराखण्ड राज्य में स्थापित उद्योगों एवं देश की मांग के अनुरूप कुशल श्रमिक उपलब्ध कराने के लिए राज्य के पॉलीटेक्निक व आई.टी.आई. संस्थाओं को सुदृढ़ करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रदेश के प्रथम महिला इंजीनियरिंग कालेज का संचालन शैक्षिक सत्र 2012–13 में प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है। सीमान्त इंजीनियरिंग कालेज, पिथौरागढ़ के भवन निर्माण तथा सुचारू संचालन के भी प्रयास किये जा रहे हैं। तकनीकी शिक्षा में गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत इन्जीनियरिंग कालेज पौड़ी, द्वाराहाट एवं पंतनगर में कार्यान्वयन प्रारम्भ किया जा चुका है जिसके अधीन कालेजों के सुदृढ़ीकरण एवं अध्ययन प्रणाली में सुधार किया जाना प्रस्तावित है। तेरहवें वित्त आयोग की संस्तुति के अन्तर्गत उत्तराखण्ड तकनीकी शिक्षा परिषद का

स्तरोन्नयन किया जायेगा। राजकीय पालीटैक्निकों का सुदृढ़ीकरण तथा छात्रावासों का निर्माण किया जाएगा।

तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग के अन्तर्गत वर्ष 2012–13 में ` 182 करोड़ का प्राविधान है।

संस्कृति :

किसी राज्य या देश की पहचान उसकी ऐतिहासिक, पौराणिक एवं सांस्कृतिक धरोहर से होती है। इस दृष्टि से उत्तराखण्ड राज्य की अपनी विशिष्ट पहचान है। सरकार इन ऐतिहासिक, पौराणिक एवं सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण व संवर्धन के लिए प्रयासरत है। राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के रख–रखाव एवं उन्नयन हेतु संगीत, नृत्य, नाटक, लोकनृत्य, लोककला आदि के लिए कार्य करते हुए इनके प्रचार–प्रसार के प्रयास किये जा रहे हैं। पुरातात्विक स्थलों एवं स्मारकों के संरक्षण, सर्वेक्षण व अनुरक्षण, प्राचीन अभिलेखों व दुर्लभ पाण्डुलिपियों को संग्रहीत कर उनका संरक्षण आदि कार्य किये जा रहे हैं। तेरहवें वित्त आयोग की संस्तुति के अन्तर्गत राज्य स्तरीय संग्रहालय एवं सभागार की स्थापना की जायेगी।

लोकगाथा, लोक रंगमच, लोक नृत्यों, लोक गीतों का हिन्दी व अंग्रेजी में कोरियोग्राफी कर राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर लोक संस्कृति को बढ़ावा देने के प्रयास किये जायेंगे। स्व. हेमवती नन्दन बहुगुणा जी के बुधाणी स्थित पैतृक आवास को संग्रहालय के रूप में संरक्षित करने के प्रयास किये जायेंगे।

संस्कृति विभाग हेतु वर्ष 2012–13 में `22 करोड़ का प्राविधान है।

खेल एवं युवा कल्याण :

खेलों का हमारे जीवन तथा समाज में विशेष योगदान तथा स्थान है। सरकार राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रयत्नशील है। जनपदों में विभिन्न खेलों के प्रशिक्षण शिविर तथा प्रतियोगिताऐं संचालित कर प्रदेश के बालक/बालिकाओं को राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करने के प्रयास किये जा रहे हैं। राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाली प्रदेशीय टीम के खिलाड़ियों को स्पोर्ट्स किट और इन प्रतियोगिताओं में पदक अर्जित करने वाले खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार

दिये जा रहे हैं। अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के विजेता खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार से सम्मानित करने और इन प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले राज्य के खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता दी जा रही है। प्रान्तीय रक्षक दल के माध्यम से युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जा रहे हैं। युवाओं का समाज में विशेष योगदान देखते हुए युवा शक्ति को समाज व देश के लिए उपयोगी बनाने हेतु विभिन्न क्रियाकलाप संचालित किये जा रहे हैं।

खेल एवं युवा कल्याण हेतु वर्ष 2012–13 में ` 55 करोड़ का प्राविधान है।

सूचना एवं लोक सम्पर्क :

राज्य सरकार की गतिविधियों, नीतियों एवं जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार–प्रसार हेतु सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग विभिन्न संचार माध्यमों से कार्य कर रहा है। इन संचार माध्यमों एवं पत्रकारों की इस व्यवस्था में अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका है तथा उनका विशिष्ट योगदान है। सरकार मीडिया तथा पत्रकारों के हितों के प्रति जागरूक है। पत्रकारों के कल्याण व सुविधा हेतु

विभिन्न प्रयास किये जा रहे हैं। विभिन्न मीडिया के अतिरिक्त अन्य माध्यमों से भी सरकार की नीतियों, योजनाओं एवं विकास कार्यों का प्रचार–प्रसार किया जा रहा है।

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग के अन्तर्गत वर्ष 2012–13 में ` 41 करोड़ का प्राविधान है।

गृह एवं आन्तरिक सुरक्षा :

शान्ति व्यवस्था एवं आन्तरिक सुरक्षा की दृष्टि से उत्तराखण्ड राज्य का एक बड़ा भाग शान्त है जबकि अन्तर्राष्ट्रीय एवं अन्तर्राज्यीय सीमा तथा मैदानी क्षेत्रों में अपेक्षाकृत रूप से शान्ति व्यवस्था व आन्तरिक सुरक्षा सहित आपराधिक गतिविधियों की कतिपय समस्याऐं हैं। अपराधों पर नियंत्रण एवं उनकी विवेचना, शान्ति व्यवस्था तथा आन्तरिक सुरक्षा आदि जिम्मेदारी उत्तराखण्ड पुलिस द्वारा निभायी जा रही है। साथ ही एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र में अपराधों के नियंत्रण तथा अपराधों की विवेचना का दायित्व राजस्व पुलिस निभा रही है। इस कार्य में जनता की महत्वपूर्ण सहभागिता भी प्राप्त हो रही है। हमें हर्ष है

कि नरेन्द्रनगर स्थित पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय अर्थात पी.टी.सी. में विगत वर्ष प्रशिक्षण कार्य प्रारम्भ हो चुका है। सरकार पुलिस प्रशिक्षण को सुदृढ़ करने के लिए प्रयासरत है। पुलिस बल आधुनिकीकरण के साथ–साथ पुलिस के मनोबल में सुधार के प्रयास किये जा रहे हैं। अपराधों की विवेचना हेतु प्रयोगशाला एवं मोबाइल फोरेंन्सिक साइंस यूनिट को क्रियाशील व सुदृढ़ किया जा रहा है। आपराधिक वादों के निस्तारण हेतु अभियोजन विभाग को सशक्त किया जा रहा है। शान्ति तथा कानून व्यवस्था आदि कार्य में होमगार्ड स्वयं सेवकों एवं नागरिक सुरक्षा संगठन का सहयोग भी महत्वपूर्ण है। जिन जनपदों में जिला कारगार स्थापित नहीं है उनमें कारागारो की स्थापना के प्रयास किये जा रहे हैं। साथ ही बन्दीगृहों को सुधार गृहो के रूप में भी उपयोगी बनाने के लिए विभिन्न क्रियाकलाप चलाए जा रहे हैं। बन्दियों को दिये जाने वाले पारिश्रमिक में वृद्धि की जा रही है और उनको साक्षर बनाने की व्यवस्था भी की जा रही है। केन्द्रीय कारागार

सितारगंज में बन्दी रक्षकों के पदों का सृजन किया जा रहा है।

वर्ष 2012–13 में पुलिस विभाग हेतु `746 करोड़, होमगार्डस् विभाग हेतु `32 करोड़ एवं कारागार विभाग हेतु `29 करोड़ का प्राविधान है।

राजस्व :

राज्य में भू–अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण हेतु राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत इसे व्यापक करने एवं भूमि अभिलेख सम्बन्धी जन सेवाओं को सुदृढ़ करने के प्रयास किये जा रहे हैं। भूमि प्रबन्धन को सुनियोजित करने पर विचार किया जा रहा है। जनसहभागिता से स्वैच्छिक चकबन्दी एवं पर्वतीय क्षेत्र में पलायन (माइग्रेशन) के कारण बंजर हो रही कृषि भूमि के सदुपयोग हेतु भी प्रयत्न किया जाना है। निर्माणाधीन भवनों को शीघ्र पूर्ण करने की व्यवस्था की जा रही है।

राजस्व विभाग के अन्तर्गत वर्ष 2012–13 में `130 करोड़ का प्राविधान है।

आपदा प्रबन्धन :

प्राकृतिक आपदाओं के उपरान्त त्वरित आधार पर राहत कार्य के साथ–साथ इन आपदाओं के सम्बन्ध में पूर्व तैयारी, जागरूकता, जानकारी, प्रशिक्षण एवं न्यूनीकरण उपायों का अत्यन्त महत्व है। सरकार इस हेतु प्रयास कर रही है। राष्ट्रीय विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत विद्यालयों के भवनों की सुरक्षा तथा विद्यार्थियों की जागरूकता के कार्य किये जायेंगे।

वर्ष 2012–13 में आपदा प्रबन्धन के लिए ` 175 करोड़ का प्राविधान है।

पंचायतीराज :

पंचायतों को संविधान की व्यवस्था के अनुरूप सुदृढ़ बनाने के लिए सतत् प्रयास किया जायेगा। वर्तमान में पंचायतें, विशेष रूप से ग्राम पंचायतें एवं क्षेत्र पंचायतें केवल लघु निर्माण की कार्यदायी संस्था मात्र बन कर रह गई है तथा इनमें क्षमता विकास करने की भी अत्यन्त आवश्यकता है। इन दो स्तरों की पंचायतों में लेखा रख–रखाव की भी सुचारू एवं सुदृढ़ व्यवस्था शीघ्र

स्थापित की जानी आवश्यक है। इस सम्बंध में यथोचित कार्यवाही की जायेगी। राज्य का प्रथम पंचायतीराज अधिनियम यथाशीघ्र पारित कराया जायेगा। पंचायतीराज व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा।

वर्ष 2012–13 में पंचायतीराज विभाग के अन्तर्गत लगभग ` 68 करोड़ का प्राविधान प्रस्तावित है।

ग्राम्य विकास :

प्रदेश के समग्र विकास तथा ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों को हो रहे पलायन को नियंत्रित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों का प्रत्येक दृष्टि से विकास करना आवश्यक है। इस हेतु अन्य विभागों द्वारा संचालित किये जा रहे कार्यों के अतिरिक्त वर्तमान में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इन्दिरा आवास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, स्वर्ण जयन्ती रोजगार योजना आदि विभिन्न कार्यों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के विकास, गरीबी उन्मूलन तथा रोजगार सृजन के क्रियाकलाप संचालित किये जा रहे हैं। तेरहवें वित्त आयोग की संस्तुति के अन्तर्गत सीमान्त क्षेत्र

विकास कार्यक्रम से आच्छादित जनपदों में सामुदायिक विकास–सह–विपणन केन्द्र एवं ग्राम स्तरीय कर्मचारियों के लिए आवासीय भवनों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। सीमान्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य के अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से लगे पाँच जनपदों के 09 विकासखण्ड़ों में रोजगार सृजन एवं अवस्थापना सुविधाओं के कार्य किये जाऐंगें। सीमान्त तथा पिछड़े विकासखण्डों में केन्द्रीय वित्त पोषण के अतिरिक्त अति आवश्यक अवस्थापना कार्यों के लिए सरकार ने **'उत्तराखण्ड सीमान्त एवं पिछड़ा क्षेत्र विकास निधि'** का गठन करने का निर्णय लिया है।

ग्राम्य विकास कार्यों हेतु वर्ष 2012–13 में ` 724 करोड़ का प्राविधान है।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी :

राज्य के विकास को सुनियोजित व वास्तविक आवश्यकता अनुरूप गति देने के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का उपयोग आवश्यक है। सभी स्तरों पर वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के साथ विज्ञान को

लोकप्रिय बनाने के प्रयास किये जा रहे हैं। विकास योजनाओं के चयन, तैयारी, क्रियान्वयन तथा अनुश्रवण आदि के लिए अन्तरिक्ष आधारित अनुप्रयोग सहित प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा रहा है।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अन्तर्गत वर्ष 2012–13 में लगभग ` 16 करोड़ का प्राविधान है।

सूचना प्रौद्योगिकी :

मान्यवर, सूचना प्रौद्योगिकी की आवश्यकता एवं उपयोगिता से हर कोई भली भॉति परिचित है। सूचनाओं के त्वरित आदान प्रदान, आंकड़ों की सटीकता एवं विश्वसनीयता, कार्यकुशलता तथा योजनाओं का क्रियान्वयन एवं सेवाऐं प्रदान करने आदि क्षेत्र में इस आधुनिक तकनीक की उपादेयता और महत्व स्थापित हो चुका है। भ्रष्टाचार नियंत्रण में भी इस तकनीक का महत्व है। इस महत्व तथा आवश्यकता को समझते हुए **''राष्ट्रीय ई–शासन''** कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यवाही प्रगति में है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य मुख्यालय को जिला, तहसील एवं विकासखण्ड स्तर तक वर्टिकल कनेक्टीविटी

अर्थात ऊर्ध्वाधर संयोजन सुविधा स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क 'स्वान' के माध्यम से जोड़ा जा चुका है, जिसके अधीन कुल 133 पी.ओ.पी. अर्थात उपलब्धता स्थल स्थापित हो चुके हैं जबकि शेष दो की स्थापना के सम्बन्ध में भी शीघ्र कार्यवाही पूर्ण की जायेगी। इस सम्बन्ध में संचार व्यवस्था हेतु कनेक्टीविटी अर्थात संयोजन सुविधा भारत संचार निगम लिमिडेट से ली गई है। उक्त पी.ओ.पी. के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों को हॉरीजौन्टल क्नेक्टीविटी अर्थात क्षैतिज संयोजन सुविधा से जोड़ा जायेगा ताकि प्रत्येक सरकारी कार्यालय राज्य मुख्यालय स्थिति डाटा सेन्टर से जुड सकें। वर्तमान में कोषागार एवं वाणिज्य कर विभाग इस नेटवर्क से जुड़ चुके हैं जबकि शेष विभागों को भी यथाशीघ्र जोड़ा जायेगा। उक्त राष्ट्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत स्टेट डाटा सेन्टर तथा कॉमन सर्विस सेन्टर की स्थापना और क्रियान्वयन में विगत वर्षों में विलम्ब हुआ है। उल्लेखनीय है कि स्टेट डाटा सेन्टर विभिन्न सरकारी विभागों की सूचनाओं के सुरक्षित संग्रहण तथा आदान प्रदान के लिए अत्यन्त

महत्वपूर्ण है जबकि कॉमन सर्विस सेन्टर अर्थात सामान्य सेवा केन्द्रों के माध्यम से आम जनता को उनके द्वार के निकट सरकार से प्राप्त होने वाली सेवाऐं और सूचनाऐं आसानी से उपलब्ध हो सकेंगी। पूरे राज्य में औसतन 06 गाँवों के मध्य एक केन्द्र आधार पर कुल 2804 केन्द्रों की स्थापना की जानी थी जिसके सापेक्ष 09 जनपदों में अभी तक 2329 केन्द्रों की स्थापना की जा चुकी है जबकि शेष 04 जनपदों में इन केन्द्रों की स्थापना शीघ्र कराने का प्रयास है। स्टेट डाटा सेन्टर सहित विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आई.टी. भवन का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है।

मान्यवर, सरकारी विभागों के कम्प्यूटरीकरण किये बिना शासकीय सेवाऐं आम जनता को उपलब्ध कराने सहित अन्य सभी पवित्र लक्ष्यों की पूर्ति सम्भव नहीं होगी। इस सम्बन्ध में किन्ही कारणों वश राज्य की प्रगति वर्तमान तक काफी धीमी रही है। राष्ट्रीय ई–शासन कार्यक्रम में विभागों के कम्प्यूटरीकरण का कार्य मिशन मोड परियोजनाओं के माध्यम से किया जाना है। प्रत्येक जनपद

में ई–जनपद परियोजना का क्रियान्वयन भी किया जायेगा ताकि जनपद स्तर पर दी जाने वाली विभिन्न सेवाऐं व सुविधाऐं आम जनता को आसानी से मिल सकें।

वर्ष 2012–13 में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के लिए `34 करोड़ का प्रस्ताव है।

पर्यटन :

राज्य में पर्यटन की अपार सम्भावनाऐं हैं तथा यह रोजगार सृजन व आर्थिक विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है। पर्यटन विकास के लिए यथोचित पर्यटन स्थलों का चिन्हीकरण, उनका विकास तथा अन्य ढाँचागत व अवस्थापना सुविधाओं के विकास पर सुनियोजित प्रकार से कार्य किया जाएगा। एशियन डेवलपमेन्ट बैंक तथा तेरहवें वित्त आयोग से वित्त पोषित योजना का क्रियान्वयन प्रारम्भ किया जा रहा है। साहसिक पर्यटन, ईको टूरिज्म तथा वन्य जीव पर्यटन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। इस सम्बंध में ईको–टूरिज्म हेतु संस्थागत व्यवस्था की जाएगी। कतिपय पर्यटन सम्बन्धी अवस्थापना सुविधाओं

को लोक निजी सहभागिता व्यवस्था से स्थापित एवं संचालित किया जायेगा।

पर्यटन क्षेत्र के लिए वर्ष 2012–13 में लगभग `104 करोड़ का प्राविधान है।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति :

मूल्य समर्थन योजना अन्तर्गत खाद्यान्न क्रय, खाद्यान्न एवं चीनी का भण्डारण तथा खाद्यान्न, चीनी व मिट्टी तेल आदि आवश्यक वस्तुओं का सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत उपभोक्ताओं को उचित दरों पर विक्रय आदि कार्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है। विभाग द्वारा अन्नपूर्णा योजना एवं मध्यान्ह भोजन योजना के लिए भी खाद्यान्न वितरण का कार्य सम्पादित किया जा रहा है। उपभोक्ताओं को सही माप तौल पर वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए सरकार विनियामक एवं प्रवर्तन कार्य कर रही है। उपभोक्ताओं की शिकायतों के प्रभावी निराकरण हेतु उपभोक्ता फोरम एवं राज्य उपभोक्ता आयोग कार्यरत हैं।

मान्यवर, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए इसका कम्प्यूटरीकरण किया जाना प्रस्तावित है। इस व्यवस्था से सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सम्पूर्ण प्रक्रिया तथा सभी स्तरों को कम्प्यूटरीकृत किया जायेगा जिससे सही लाभार्थियों को खाद्यान्न एवं आवश्यक वस्तुओं का वितरण सुनिश्चित किया जा सकेगा और इस प्रणाली की कमियां काफी हद तक दूर हो सकेंगी। सभी स्तर की सटीक सूचनाऐं समय से उपलब्ध होने के कारण वितरण प्रणाली का संचालन एवं नियंत्रण प्रभावी व सुगम हो सकेगा।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग हेतु वर्ष 2012–13 में `390 करोड़ की व्यवस्था है जिसमें न्यून दरों पर खाद्यान्न वितरण की व्यवस्थान्तर्गत उपभोक्ताओं हेतु `350 करोड़ की खाद्यान्न सब्सिडी अनुमानित है।

श्रम एवं सेवायोजन :

राज्य सरकार श्रम कानूनों का प्रवर्तन करते हुए श्रमिकों के हितों की संरक्षा करने के साथ सेवायोजकों तथा श्रमिकों के मध्य सौदार्हपूर्ण वातावरण बनाने के लिए

प्रयासरत है। उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन) नियमावली, 2005 के अन्तर्गत मार्च,2012 तक 436 प्रतिष्ठानों का पंजीकरण कर कुल 2977 कर्मकार पंजीकृत किये जा चुके हैं जिससे निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड निधि में `14.66 करोड़ की धनराशि जमा की गई है। इस प्रयास को और गति प्रदान की जायेगी।

सरकार बेरोजगारों का पंजीकरण कर उन्हें रोजगार प्राप्त करने में सहायता कर रही है। इस सम्बन्ध में देहरादून में स्थापित रिसोर्स सेन्टर को कैरियर काउन्सलिंग हेतु विकसित किया जा रहा है। ऑन लाइन पंजीकरण की व्यवस्था को भी सुचारू किया जायेगा। किच्छा, खटीमा, सितारगंज, हल्द्वानी, डोईवाला, लाल तप्पड़ तथा लक्सर में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के लाभार्थियों हेतु औषधालय स्थापित किये जा रहे हैं और जनपद उधमसिंह नगर में एक चिकित्सालय एवं राज्य में एक ई. एस. आई. मेडिकल कॉलेज स्थापित कराने की कार्यवाही चल रही है।

सेवायोजन कार्यालयों में पंजीकृत बेरोजगारों को जीवनयापन भत्ता दिये जाने के लिए के अध्ययन कर नियमावली निर्माण व तैयारी के लिए व्यवस्था की जा रही है।

श्रम एवं सेवायोजन विभाग के अन्तर्गत वर्ष 2012—13 में `89 करोड़ का प्राविधान है।

नियोजन :

राज्य के समग्र विकास सहित क्षेत्रीय एवं कार्यक्षेत्र स्तर पर संतुलित विकास के लिए समुचित एवं कुशल नियोजन का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है। समुचित नियोजन के साथ कार्यों व योजनाओं का नियमित अनुश्रवण, मूल्यांकन,सत्यापन तथा गुणवत्ता नियंत्रण भी उतना ही महत्वपूर्ण है। वर्तमान में यह परिलक्षित हुआ है कि वार्षिक योजना का निर्धारण मात्र परिव्यय आवंटन एवं संकलन तक ही मुख्यतः सीमति है। साथ ही यह भी दृष्टिगत हुआ है कि क्रियान्वयित की जा रही योजनाओं की कोई स्पष्ट रूपरेखा नहीं है और योजना की अवधि, लागत, उद्देश्य तथा **''आउटपुट''** व **''आउट कम''** स्पष्ट

नहीं हैं। इस व्यवस्था से सीमित संसाधनों का ईष्टतम उपयोग सम्भव नहीं हो पाता है तथा योजनाओं के दोहरीकरण की परिस्थितियाँ विद्यमान हैं। सरकार अनवरत नियोजित विकास के माध्यम से राज्य को विकसित राज्यों की श्रेणी में लाने का प्रयास करेगी। इस हेतु एक ओर वर्तमान में संचालित सभी योजनाओं का पुनरावलोकन कर यथाशीघ्र नियोजित विकास की वास्तविक आवश्यकता अनुरूप उनका पुनरीक्षण किया जायेगा और उपयोगी न रह गई योजनाओं के स्थान पर उपयोगी योजनाऐं संचालित करने हेतु कार्यवाही की जायेगी। अन्तर विभागीय सामन्जस्य से समस्या विशेष के समाधान हेतु सुस्पष्ट योजना, अवधि, लागत, उद्देश्य, आउट पुट तथा आउट कम लक्ष्य निर्धारित कर योजनाओं का क्रियान्वयन, अनुश्रवण, मूल्यांकन तथा गुणवत्ता नियंत्रण किया जायेगा।

मान्यवर,

अब मैं वित्तीय वर्ष 2012–13 के आय–व्ययक अनुमानों के प्रमुख आकड़ों का उल्लेख करना चाहूँगी।

वर्ष 2012–13 में कुल प्राप्तियाँ `21043 करोड़ अनुमानित हैं जिसमें `16159 करोड़ राजस्व प्राप्तियाँ तथा `4884 करोड़ पूंजीगत प्राप्तियाँ सम्मिलित है।

वित्तीय वर्ष 2012–13 में राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व `9369 करोड़ है जिसमें केन्द्रीय करों में राज्य का अंश `3388 करोड़ सम्मिलित है।

राज्य के स्वयं के स्रोतों से कुल अनुमानित राजस्व प्राप्ति `7188 करोड़ में कर राजस्व `5980 करोड़ तथा करेत्तर राजस्व `1208 करोड़ अनुमानित है।

व्यय :

वर्ष 2012–13 में ऋणों के प्रतिदान पर `2297 करोड़, ब्याज की अदायगी के रूप में `2025 करोड़, राज्य कर्मचारियों के वेतन–भत्तों आदि पर लगभग `6419 करोड़, सहायता प्राप्त षिक्षण व अन्य संस्थाओं के षिक्षकों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों के रूप में

लगभग `494 करोड़, पेंषन एवं अन्य सेवानिवृत्तिक लाभों के रूप में `1413 करोड़ व्यय अनुमानित है।

वर्ष 2012–13 में कुल व्यय `21932 करोड़ अनुमानित है। कुल व्यय में `15717 करोड़ राजस्व लेखे का व्यय है तथा `6215 करोड़ पूंजी लेखे का व्यय है। कुल व्यय में `7049 करोड़ आयोजनागत एवं `14883 करोड़ आयोजनेत्तर पक्ष में प्रस्तावित है। कुल राजस्व व्यय में `3152 करोड़ आयोजनागत पक्ष एवं `12565 करोड़ आयोजनेत्तर पक्ष में अनुमानित है जबकि कुल पूंजीगत व्यय में `3897 करोड़ आयोजनागत पक्ष में एवं `2317 करोड़ आयोजनेत्तर पक्ष में होना अनुमानित है।

समेकित निधि में घाटा :

समेकित निधि की कुल प्राप्तियाँ `21043 करोड़ में कुल व्यय `21932 करोड़ घटाने के पश्चात् वर्ष 2012–13 में `889 करोड़ का घाटा अनुमानित है।

राजकोषीय समेकन सूचक :

वर्ष 2012–13 के आय–व्ययक प्रस्ताव के आधार पर कोई राजस्व घाटा अनुमानित नहीं है बल्कि `442 करोड़ का राजस्व सरप्लस सम्भावित है जबकि `3358 करोड़ का राजकोषीय घाटा होने का अनुमान है। उक्तानुसार अनुमानित राजकोषीय घाटा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य की सीमान्तर्गत है।

लोक–लेखा से समायोजन :

वर्ष 2012–13 में समेकित निधि का घाटा पूरा करने के लिए `700 करोड़ लोक–लेखा से समायोजित किये जायेंगे।

अन्तिम शेष :

वर्ष 2012–13 के अनुमानित प्रारम्भिक शेष `85.10 करोड़ तथा वर्ष की प्राप्तियों एवं व्यय पश्चात् अन्तिम शेष `53.62 करोड़ ऋणात्मक रहना अनुमानित है।

मान्यवर,

अन्त में, मैं मा. मुख्यमंत्री जी को उनके मार्गदर्शन के लिए तथा मंत्रिमण्डल के अपने अन्य सहयोगियों के प्रति उनके सहयोग तथा परामर्श के लिए आभार प्रकट करती हूँ। वित्त विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने बजट तैयार करने में जो सहायता मुझे दी है उसके लिए मैं उनका हार्दिक आभार प्रकट करती हूँ। मैं महालेखाकार, उत्तराखण्ड एवं उनके अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सहायता के लिए भी कृतज्ञ हूँ। मैं राजकीय मुद्रणालय तथा एन0आई0सी0 के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूॅ जिनके परिश्रम एवं सहयोग से समय से बजट तैयार करना व बजट साहित्य का मुद्रण सम्भव हो सका।

मैं प्रदेशवासियों का निम्न पंक्तियों के साथ प्रदेश के विकास के लिए आगे आने का आमंत्रण करती हूँ :–

उठो कि वक्त आ गया, उठो वतन के वास्ते
बुला रहीं हैं मंजिलें पुकारते हैं रास्ते
नई तरंग चाहिए, नया जश्न चाहिए
फिर इंकलाबे–वक्त को तुम्हारा वक्त चाहिये।

राष्ट्र नायक स्वर्गीय पं0 जवाहर लाल नेहरू जी भी जीवन के अंतिम क्षणों में अपनी मेज़ पर लिखी निम्न पंक्तियों से कार्य करने की प्रेरणा लेते थे। ये पंक्तियाँ हमारे लिये प्रेरणादायक हैं :–

Woods Are Lovely Dark and Deep
But I have promises to keep
Miles to go before I sleep
Miles to go before I sleep

इन्ही शब्दों के साथ, मान्यवर, मैं वित्तीय वर्ष 2012–13 का बजट प्रस्तुत करती हूँ।

.............शक संवत् ....

तद्नुसार

31 मई,2012